

मु.नं. 264/14 रुधुनाथ / चंडुर्भोज

वार एस्को. स्वगन  
9-10-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराण उप.  
P.O. साहब नरै/अवकाश पर पधारे है।  
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
13-11-25 को पेश हो

15-10-25 वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत  
धारा 151 C.P.C. वास्ते पत्रावली  
तलब कर विद्रो (प्रत्याहरण) करने  
वास्तु पेश करने पर पत्रावली तलब  
की गयी। वादी स्वयं उपस्थित, जिसकी  
पहचान वकील वादी द्वारा की गयी  
वादी ने पहचानस्वरूप आधार कार्ड  
सं. 5394 1104 4853 की स्व-हस्ताक्षरित  
प्रति पेश की। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-  
पत्र अनुसार उपरोक्त प्रकरण में वादी व  
प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजी-  
नामा हो गया है, इस कारण उक्त प्रकरण  
में किसी प्रकार का अनुतोष शेष नहीं रहा  
है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वादी व वकील  
वादी को सुना गया। तदनुसार वादी द्वारा  
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी  
का वाद जारीचे विद्रो ल खारिज किया जाता  
है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)